

प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज
(पूर्ववर्ती इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद)

संदर्भ सं.: पी.आर.एस.यू./सम्ब./वि.वि.अनु./153/2022

दिनांक: 7/5/2022

गोपनीय

सेवा में,

अध्यक्ष/सचिव
आई.के.एम. लॉ कालेज, आनापुर,
प्रयागराज, उ०प्र०

विषय: विभागाध्यक्ष/सहायक आचार्य पद पर चयन हेतु विषय विशेषज्ञ नामित किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक: दिनांक 20.04.2022 के संदर्भ में सूचित करने का निर्देश हुआ है कि माननीय कुलपति जी ने महाविद्यालय में रिक्त एवं विज्ञापित प्राचार्य, स्नातक स्तर पर विधि संकाय एल०एल०बी० त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु के अन्तर्गत पाठ्यक्रम हेतु सहायक आचार्यों के अनुमोदन निम्नलिखित विषय विशेषज्ञों को नामित किये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान की है।

पदनाम/विषय

विशेषज्ञों का नाम एवं पता

प्राचार्य

कुलपति जी के नाम निर्देशित

- 1 प्रो० रंजन कुमार विधि विभाग, काशी विद्यापीठ, वाराणसी, मो० 8318374770
- 1 डॉ० आशीष जोशी, द०द०उ०राज०स्ना०महा.सैदाबाद, प्रयागराज, मो०09415316524
- 2 डॉ० सुनन्दा चतुर्वेदी, एच०एन०बी०राज०स्ना०महा०, नैनी, प्रयागराज, मो० 993503999
- 3 डॉ० प्रबोद्ध श्रीवास्तव, भवन्स मेहता डि.का., कौशाम्बी, मो० 9412273280
- 4 डॉ० अखिलेश कुमार पाण्डेय, स्नातकोत्तर महा०पट्टी, प्रतापगढ़ मो० 9453337097
- 5 डॉ० रणजय सिंह, बजरंग पी०जी०कालेज, कुण्डा, प्रतापगढ़ मो० 7007618543

स्नातक स्तर-विधि संकाय के अन्तर्गत
एल०एल०बी० त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु 06
पद

कुलपति जी के नाम निर्देशित

- 1 प्रो० बी०डी०सिंह, ल०वि०वि०, मो० 9415578603
- 2 प्रो० रविकान्त चौबे, इ०वि०वि०, मो. 9415436736
- 1 प्रो० रंजन कुमार काशी विद्यापीठ, वाराणसी, मो० 8318374770
- 2 प्रो० जे०पी०मिश्रा, इ०वि०वि०, मो० 9450614875
- 3 प्रो० राकेश खन्ना, इ०वि०वि०, मो० 9450633887
- 4 प्रो० प्रदीप कुमार सिंह, बी०एच०यू०, वाराणसी मो० 9453312601
- 5 प्रो० वी०एस०मिश्रा, बी०एच०यू०, वाराणसी, मो० 9415203351

विशेषज्ञ पैनल

स्नातक स्तर-विधि संकाय के अन्तर्गत
एल०एल०बी० त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु
अंग्रेजी
कुलपति जी के नाम निर्देशित

- 1 प्रो० सारनाथ सिंह, ल.वि.वि., मो० 9415981120
- 2 प्रो० आर०के०सिंह, इ०वि०वि०, मो० 09335152441
- 1 प्रो० गुंजन सुशील, इ०वि०वि०, मो०- 9415237918
- 2 प्रो० सुमिता परमार, इ०वि०वि० मो०- 9335143431
- 3 डॉ० राम प्रवेश सिंह, मा०गा०का०फतेहपुर, मो०09208567690
- 4 डॉ० सुरेश कुमार सिंह, बजरंग महा० कुण्डा, प्रतापगढ़ मो० 9415183214
- 5 डॉ० वन्दना अग्निहोत्री, राज०महि०स्नात०महा० बिन्दकी, फतेहपुर, मो० 9140461660

विशेषज्ञ पैनल

प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज (पूर्ववर्ती इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद)

स्नातक स्तर-विधि संकाय के अन्तर्गत
एल०एल०बी० त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु
अर्थशास्त्र
कुलपति जी के नाम निर्देशित

विशेषज्ञ पैनल

- 1 प्रो० एच०के०सिंह, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, मो० 9415264509
- 2 डॉ० मनोज मिश्र, एम०डी०पी०जी०का०प्रतापगढ़ मो० 9450092615
- 1 प्रो० प्रहलाद कुमार, इ०वि०वि०, मो०- 9935256318
- 2 डॉ० शिवभूषण, म.मो.माल.पी.जी.का., कालाकांकर, प्रतापगढ़ मो० 9415288762
- 3 श्रीमती रश्मी सिंह, पी०बी०पी०जी०का० प्रतापगढ़ मो० 8756300836
- 4 डॉ० श्वेता, भवन्स मेहता डि.का. भरवारी, कौशाम्बी, मो. 9415124195
- 5 डॉ० कृष्ण प्रताप सिंह, स्नातकोत्तर महा.पट्टी प्रतापगढ़ मो० 9936883070

स्नातक स्तर-विधि संकाय के अन्तर्गत
एल०एल०बी० त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु
समाजशास्त्र
कुलपति जी के नाम निर्देशित

विशेषज्ञ पैनल

- 1 प्रो० रंजन कुमार काशी विद्यापीठ, वाराणसी, मो० 8318374770
- 2 डॉ० विवेक कुमार सिंह, पी०आर०एस०यू०, मो० 9415461042
- 1 प्रो० आशीष सक्सेना, इ०वि०वि०, मो०- 9559931313
- 2 प्रो० लालिमा सिंह, एस०एस०खन्ना पी०जी०का०, प्रयागराज, मो० 9415644674
- 3 डॉ० अवधेश कुमार झा, एच०एन०बी०नैनी, प्रया. मो० 9450407258
- 4 डॉ० आलोक द्विवेदी, एच०एन०बी०स्ना०महा०, लालगंज, प्रता०, मो० 9450013322
- 5 डॉ० सतीश चन्द्र तिवारी, भवन मेहता डिग्री कालेज, भरवारी, कौशाम्बी, मो० 8004173171

2. कृपया नामित विशेषज्ञों से सम्पर्क कर चयन समिति आहूत करने का कष्ट करें।
 3. (क) महाविद्यालय के प्राचार्य/विभागाध्यक्ष पद पर चयन हेतु चयन समिति का गठन निम्नवत् होगा:
 - (i) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामित प्रबन्ध समिति का कोई एक सदस्य -अध्यक्ष
 - (ii) प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित प्रबन्ध समिति के दो सदस्य, जिसमें से एक शैक्षिक प्रशासन में विशेषज्ञ होगा। -सदस्य
 - (iii) कुलपति जी द्वारा नामित एक निर्देशित -सदस्य
 - (iv) तीन विशेषज्ञ, जिसमें किसी महाविद्यालय का प्राचार्य, एक आचार्य और एक निष्णात शिक्षाविद् जो आचार्य रैंक के नीचे का न हो, कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित छः विशेषज्ञों के पैनल में से प्रबन्ध समिति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे। -सदस्य
 - (v) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के नागरिकों में से प्रत्येक से एक शिक्षाविद् जो कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे, यदि चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी सम्बन्धित श्रेणी का न हों। -सदस्य
 - एवं (ख) महाविद्यालय के सहा० आचार्य पद पर चयन हेतु चयन समिति का गठन निम्नवत् होगा:
 - (i) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामित प्रबन्ध समिति का कोई एक सदस्य -अध्यक्ष
 - (ii) महाविद्यालय का प्राचार्य -सदस्य
 - (iii) सम्बन्धित विषय का विभागाध्यक्ष -सदस्य
 - (iv) कुलपति जी के दो नाम निर्देशित, जिसमें एक सम्बन्धित विषय का विशेषज्ञ हो -सदस्य
 - (v) दो विषय विशेषज्ञ, जो महाविद्यालय से सम्बन्धित न हों, कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित पांच विशेषज्ञों के पैनल में से अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे। -सदस्य
- नोट: यदि महाविद्यालय में कोई प्राचार्य अथवा शिक्षक न हो तो शेष सदस्यों से चयन समिति का गठन हो जायेगा।

प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज (पूर्ववर्ती इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद)

4. चयन समिति की बैठक के उपरान्त चयन समिति की संस्तुतियों को महाविद्यालय की प्रबंध समिति के सम्मुख प्रस्तुत कर उसकी सहमति/संस्तुति लेना अनिवार्य होगा।
- 4-अ, चयन समिति अभ्यर्थियों के साक्षात्कार में निम्न विषयों का संज्ञान लेकर चयन सम्पन्न करा सकेगी—
- क- सम्बन्धित विषय
ख- शिक्षण विषय
गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा
ग- शारीरिक शिक्षा
घ- फाइन आर्ट्स
ङ- परफार्मिंग आर्ट्स
नृत्य, संगीत, नाट्य
5. विश्वविद्यालय द्वारा प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/सहा. आचार्य के चयन का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रपत्र/अभिलेख विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (i) विज्ञापित पदों के विज्ञापन की मूल प्रति एवं महाविद्यालय को प्राप्त सम्बद्धता सम्बन्धी पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
- (ii) चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त/संस्तुति पत्र, जिसमें चयनित व प्रतीक्षा सूची सहित, चयन समिति का अभ्यर्थियों के साथ छायाचित्र।
- (iii) चयन समिति की संस्तुतियों पर महाविद्यालय की प्रबंध समिति की बैठक की कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
- (iv) चयन समिति द्वारा संस्तुत प्राचार्य/सहा.आचार्य का रु 10/के दो पृथक स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र (फोटोग्राफ सहित)
- (v) चयनित अभ्यर्थी का मूल आवेदन-पत्र सभी शैक्षिक अभिलेखों की अंकतालिकाओं एवं प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
- (vi) चयनित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष का अनुभव प्रमाणपत्र, पूर्व महाविद्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र, उनके पूर्व विश्वविद्यालय का अनुमोदन पत्र संलग्न किया जायें।
- (vii) अध्यक्ष के उपस्थित न होने की स्थिति में नामित का पत्र।
- (viii) विभागाध्यक्ष यदि हो तो, प्रामाणिक अभिलेख/अनुमोदन पत्र की प्रति।
6. विशेषज्ञों का उपर्युक्त पैनल एक वर्ष के लिए वैध होगा तथा इसका उपयोग सम्बन्धित विज्ञापन के सापेक्ष ही किया जायेगा।
7. प्राचार्य/सहा. आचार्य के पदों पर चयन का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त करने के उपरान्त ही शिक्षक को नियुक्ति पत्र निर्गत किये जायेंगे।
8. प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/सहा० आचार्य के चयन की बैठक को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में सम्पन्न कराया जाना अनिवार्य है।
9. मा० कुलपति जी द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ पैनल में से यदि कोई विषय विशेषज्ञ आने में असमर्थता व्यक्त करता है तो इससे लिखित रूप से असमर्थता (Refusal) जो कि पत्र/ई-मेल फार्म में हो सकती है प्राप्त करके विषय विशेषज्ञ परिवर्तन के अनुरोध पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न कर भेजी जाये अन्यथा कि स्थिति में प्राप्त होने वाले अनुरोध पत्र स्वतः अस्वीकृत माने जायेंगे।
10. परिसर स्थित कक्षों के आवंटन हेतु एक सप्ताह पूर्व सूचना देनी होगी।

भवदीय,

(एस०के०शुक्ल)
कुल सचिव।